राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

क्रमांकः प.नि. / 2024 / दिनांकः

कार्यालय–आदेश

विश्वविद्यालय शैक्षणिक परिषद के निश्चय संख्या–26 एवं निश्चय संख्या अन्तर्गत एजेण्डा आइटम संख्या–08 दिनांक 23.08.2024 तथा सिंडिकेट निश्चय संख्या 16–1.10 दिनांक 15.10. 2024 के अनुसरण में निर्दिष्ट किया जाता है कि विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 (NEP-2020) लागू होने एवं एल.एल.बी. पाठ्यक्रम में सेमेस्टर पद्धति प्रारम्भ होने के फलस्वरूप B.A./ B.Sc./ B.Com./ B.C.A./ LL.B. एवं अन्य तीन वर्षीय वार्षिक पद्धति के समस्त पाठ्यक्रमों में परीक्षार्थी के पंजीकरण / प्रवेश से अधिकतम 06 वर्ष या परीक्षा 2026 (दोनों में जो भी बाद में हो) में पूर्ण करने की समय सीमा निर्धारित की जाती है। यह प्रावधान शैक्षणिक सत्र 2023–24 तक पंजीकृत समस्त विद्यार्थियों पर लागू होगा।

निर्धारित की गई उक्त समय–सीमा / अवधि तक वार्षिक पद्धति आधारित स्नातक पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं करने की स्थिति में संबंधित परीक्षार्थी का पाठ्यक्रम स्वतः निरस्त / शुन्य माना जायेगा।

Sd/-
कुलसचिव

क्रमांकः प.नि. / 2024 / 2644–2650 दिनांकः 19.11.24

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. उप कुलसचिव, शैक्षणिक–I, रा.वि.वि., जयपुर को उनके द्वारा शैक्षणिक परिषद की बैठक दिनांक 23.08.2024 में की गई अनुशंसाओं के Action Taken हेतु जारी किये गये मीमो संख्या– F.3(4)/Acad.I/2024/41897 दिनांक 02.10.2024 के संदर्भ में प्रेषित है। साथ ही संबंधित पाठ्यक्रमों (Syllabi) में उक्त प्रावधान अंकित किया जाना भी सुनिश्चित किया जाना है।
2. उप कुलसचिव, परीक्षा गोपनीय / लेखा एवं वित्त, रा.वि.वि., जयपुर।
3. निदेशक, इन्फोनेट, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को इस आशय के साथ कि उक्त कार्यालय आदेश को विश्वविद्यालय वेबसाईट पर जारी करने का श्रम करें।
4. सहायक कुलसचिव / अनुभागाधिकारी / सहायक अनुभागाधिकारी, समस्त परीक्षा अनुभाग, रा.वि.वि., जयपुर।
5. निजी सचिव, कुलपति / कुलसचिव, रा.वि.वि., जयपुर।
6. संबंधित कम्प्यूटर फर्म।

19.11.24
परीक्षा नियंत्रक